मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता(भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 (धारा 109, 110 के अधीन निर्मित) दिनांक 04 जनवरी, 2019 से प्रभावशील



इसे वेबेसाईट www.govtpressmp.nic. in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2019—पौष 14, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,
- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

कमांक एफ 2—14/2018/सात/शा.6— मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता, 1959 की (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तेईस) के साथ पठित धारा 109 तथा धारा 110 द्वारा

1

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक 2498—सात—एन—एक दिनांक 10 जून, 1965 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02 जुलाई, 1965 को प्रकाशित की गई थी, को अतिष्टित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—अभिलेखों में नामांतरण), नियम 2018, जिन्हें उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, बनाती है:—

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू—राजरव संहिता (भू—अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 है।
 - (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ -
 - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
 - (ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है संहिता की धारा।
 - (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं तथा संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो संहिता में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है।

भाग- क

अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट तथा फीस का भुगतान

- 3. (1) धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने की रिपोर्ट—
 - (क) भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन के मामले में, प्ररूप-एक में,
 - (ख) पट्टाधृति अधिकार या हित के अर्जन के मामले में.- प्ररूप-दो में:
 - (ग) अवयस्क भूमिस्वामी अथवा अवयस्क पट्टेदार के वयस्क होने के मामले में,— प्ररूप-तीन में;
 - (घ) खण्ड (क) से (ग) से भिन्न किसी अधिकार या हित के अर्जन के मामले में,—प्ररूप—चार में; और
 - (ङ) कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में, नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए एक साथ कार्यवाही के लिए आवेदन के मामले में,— प्ररूप—पांच में, की जाएगी।
 - (2) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट, धारा 109 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण—तीन में विनिर्दिष्ट तरीकों में से किसी एक तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जब कभी ऐसा सिस्टम लागू हो, से की जाएगी।
 - (3) जहां भूमि में का ऐसा अधिकार या हित किसी सर्वेक्षण संख्यांक या ब्लाक संख्यांक या भूखंड संख्यांक के अंशभाग पर अर्जित किया गया है वहां राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार नामांतरण—पूर्व रेखाचित्र (प्री—म्यूटेशन स्केच) तैयार किया जाएगा तथा उपनियम (1) की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।
 - (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाला पक्षकार भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फीस का भुगतान क्ररेगाः

परन्तु जब तक ऐसी अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है, कोई फीस देय नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि धारा 109 या 110 या इन नियमों के अधीन देय कोई अपेक्षित फीस या शास्ति का भुगतान नहीं किया गया हो तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल योग्य होगी।

(5) उपनियम (1) में की गई रिपोर्ट की लिखित अभिस्वीकृति दी जाएगी।

- 4. रिजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन प्रज्ञापना, दस्तावेज के रिजस्ट्रीकरण की तारीख से दस दिन के भीतर, राज्य सरकार द्वारा रागय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार तैयार नामांतरण-पूर्व रेखाचित्र (प्री-म्यूटेशन स्केच) के साथ प्ररूप-छः में तहसीलदार को भेजी जाएगी। रिजस्ट्रीकरण अधिकारी भूमि में हक या अधिकार अर्जन करने वाले व्यक्ति से नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन अभिलेखों में नामांतरण के लिये देय फीस जमा करवाएगा तथा प्ररूप-छः में उसके ब्यौरे देगा। प्ररूप-छः में की गई प्रज्ञापना की प्रति भी विलेख के पक्षकारों को दी जाएगी।
- 5. धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन संधारित की जाने वाली अधिकारों या हितों के अर्जन की रिपोर्टों के लिए पंजी प्ररूप—सात में होगी।
- 6. धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन अधिकार अर्जन संबंधी प्रज्ञापना प्ररूप-आठ में तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी।

भाग- ख

भू-अभिलेखों में नामांतरण के मामलों में कार्यवाहियाँ

- 7. (1) तहसीलदार धारा 110 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को प्ररूप—नौ में नोटिस जारी करेगा, जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति तथा प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं,
 - (क) उस मामले में जब भूमि शासन द्वारा पट्टे पर या अनुज्ञप्ति पर दी गई है— संबंधित विभाग का जिला प्रमुख या जहां कोई जिला प्रमुख नहीं है विभाग का सचिव
 - (ख) उस मामले में जब भूमि किसी स्थानीय निकाय द्वारा पट्टे पर या अनुज्ञप्ति पर दी गई है— संबंधित स्थानीय निकाय का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;
 - (ग) उस मामले में जब भूमि राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी प्राधिकारी द्वारा पट्टे पर या अनुज्ञप्ति पर दी गई है— ऐसे प्राधिकारी का जिला प्रमुख या जहां कोई जिला प्रमुख नहीं है वहां ऐसे प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
 - (2). तहसीलदार नामांतरण के प्रस्ताव से संबंधित सार्वजनिक नोटिस प्ररूप-दस में अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा और संबंधित ग्राम या सेक्टर में प्रकाशित करेगा।
 - (3). जांच के दौरान यदि तहसीलदार को उन व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन नोटिस जारी किये गये हैं, से भिन्न कोई हितबद्ध व्यक्ति का होना ज्ञात होता है तो वह ऐसे हितबद्ध व्यक्ति को भी नोटिस जारी करेगा।

- 8. (1) तहसीलदार धारा 110 की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् पारित किए गये आदेश तथा अद्यतन भू—अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, धारा 110 की उपधारा (5) के अधीन यथा उपबंधित निःशुल्क प्रदाय करने हेतु तिथि नियत करेगा जो तीस दिन से अधिक की नहीं होगी।
 - (2) इस प्रकार नियत तिथि को आदेश तथा अद्यतन खसरा और नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को परिदत्त की जाएगी। तहसीलदार भू—अधिकार पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि करेगा या यदि अपेक्षित हो, पक्षकारों को नवीन भू—अधिकार पुस्तिका जारी करेगा।
 - (3) यदि कोई पक्षकार ऐसी बांछा करे या यदि कोई पक्षकार उपनियम (1) के अधीन नियत तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो आदेश तथा अद्यतन खसरा और नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि राज्य सरकार निदेशित करे, पक्षकार को भेजी जाएंगी।
- 9. धारा 110 की उपधारा (7) के अधीन लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट आगामी तिमाही के दसवें दिन तक प्ररूप-ग्यारह में कलेक्टर को भेजी जाएगी। राज्य सरकार मॉनीटिरिंग हेतु ऐसी रिपोर्ट स्वचलित तैयार करने के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्थापित कर सकेगी।

भाग- ग

कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में नामांतरण तथा खाते के विमाजन के लिए एक साथ कार्यवाहियाँ

- 10. धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने वाला पक्षकार, धारा 110 के अधीन भू—अभिलेखों में अधिकार या हित का नामांतरण कराने तथा धारा 178 के अधीन खाते का विभाजन कराने के लिए एक साथ कार्यवाही हेतू आवेदन कर सकेगा।
- 11. (1) यदि नियम 10 के अधीन आवेदन किया जाता है तो तहसीलदार धारा 110 के अधीन भू—अभिलेखों में अधिकारों के नामांतरण के लिए तथा धारा 178 के अधीन खाते के विभाजन के लिए एक मामला दर्ज करेगा और सुनवाई कर एक साथ आदेश पारित करने के लिये अग्रसर होगा।
 - (2) उपनियम (1) के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों में इन नियमों तथा धारा 178 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पालन किया जाएगा।
 - (3) जहां खाते के विभाजन के संबंध में कोई आपित्त उठाई जाती है, तहसीलंदार भू—अभिलेखों में नामांतरण का आदेश पारित करेगा तथा खाते का विभाजन चाहने वाले पक्षकारों को धारा 178 के अंतर्गत पृथक से आवेदन करने का निर्देश देगा।

प्ररूप-एक

(नियम-3 देखिए)

भू-अमिलेख में भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट

	\sim
प्र	ति.

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार	
तहसील	
जिलाम.प्र.	
भाग-एक	
मैं / हम(नाम)हित के अर्जन की रिपोर्ट कर रहा हूँ / रहे हैं तथा 20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख हूँ / करते हैं।	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण :

अनु कमांक	नाम तथा पता	पिता / माता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति /अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं कमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(e)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.				<u> </u>				

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/ समनुदेशन/त्यजन किया गया है:

अनु क्रमांक	नाम तथा पता	पिता / माता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं क्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.						-		
2.							-	

3. भूमि तथा अधिकार/हित का विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	ग्राम / नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग भीटर में)	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भूमिस्वामी अधिकार /हित अर्जित किया गया है	अधिकार/ हित अर्जन करने वाले व्यक्तियों के नाम		/ हित अर्जन विवरण क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			•				

4. भूमिस्वामी अधिकार / हित के अर्जन का प्रकार-

अनु कमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाये)	कृपया टिक(√) करें, यदि सलंग्न
 			हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विरासत द्वारा	 मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिरवामी की मृत्यु का समुचित प्रमाण पारिवारिक वंशावली/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिरसे 	
2.	वसीयत द्वारा	वसीयतनामा	
3	क्य द्वारा	रजिष्ट्रीकृत विकय विलेख	
4.	दान द्वारा	रजिष्ट्रीकृत दान विलेख	
5.	भूमि के विनिमय द्वारा	विनिमय का रजिस्ट्रीकृत विलेख	
6.	न्यायालय की डिकी द्वारा	न्यायालय की डिकी	
7.	भूमि अर्जन द्वारा	पारित किया गया अवार्ड	
8.	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आर्दश	
9.	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	निर्मुक्ति / विमुक्ति विलेख	
10.	किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उक्त में वर्णित नहीं है)	सुसंगत दस्तावेज	

5. फीस के ब्यौरे

(रूपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
	·	

			_
CI	ľN	TTT	7
CI	ч	ΨI	
	. ,	•	

1. मैं / हमपता (पूर्ण पता)पता (पूर्ण पता)
एतद्द्वारा घोषणा करता/करती
हूँ / हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं
सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी समझता
हूँ / समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे
/ हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम निवेदन करता हूं / करते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी
के अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।
<u>^</u>

G1107		हरतादार	
स्थान		नाम	
	•	(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति	ਜ)

आवश्यक संलग्नक --

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण-पूर्व रेखाचित्र (प्री-म्यूटेशन स्केच) की प्रति (जहाँ लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान स्थापित करने के प्रमाण के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-

- (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जी.एस. टी. रिजस्ट्रेशन नम्बर, रिजस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किया गया सी.आइ. एन. नम्बर, रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रिजस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, पंजीयक लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
- (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस की रसीद की प्रति
- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ सलग्न की जाएं।
 - (2) पहचान के प्रमाण की ख-सत्यापित प्रति आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग— दो अभिस्वीकृति

प्रात,	•
	श्री / श्रीमती / कु
	पुत्र/पुत्री/पति
	पता

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत रिपोर्ट की एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक:	मुद्रा	
स्थानः		प्राप्तकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
		तहसील
		जिला

प्ररूप–दो

(नियम-3 देखिए)

पट्टाधृति अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट

অ	ति,
	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार
	तहसील
	जिलाम.प्र.
	भाग-एक
	मैं / हम(नाम)एतद्द्वारा, भूमि में पट्टाधृति अधिकारों य
	िहितों के अर्जन की रिपोर्ट कर रहा हूँ / रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता, 1959 (कमांक
	20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण के लिए निवेदन करत
	हूँ / करते हैं ।

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण :

अनुकमांक	नाम तथा पता	पिता / माता / पति / संरक्षक	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं कमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	का नाम (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/ समनुदेशन/त्यजन किया गया है:

अनुक्माक	नाम तथा पता	पिता / माता / पति / संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	मोबाइल फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति / अन्य ,	पहचान दस्तावेज का विवरण एवं कमांक	अस्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)
1.								
2.								
								·

3. भूमि तथा अधिकार/हित का विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	ग्राम / नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू—खण्ड संख्याक	l . i	क्षेत्रफल	वाले व्यक्तियों	अधिकार/ अर्जन का हिस्सा	/हित विवरण क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4 .पट्टाधृति अधिकार/हित के अर्जन का प्रकार-

अनु	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां	कृपया टिक(√)
कमांक		संलग्न की जायें)	करें, यदि सलंग्न हो
			
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विरासत द्वारा	1. मृत पट्टेदार का मृत्यु प्रगाणपत्र या	
		पट्टेदार की मृत्यु का समुचित प्रमाण 2. पारिवारिक वंशावली / उत्तराधिकारियो की	
	<u></u>	सूची तथा उनके हिस्से	
2	वसीयत द्वारा	वसीयतनामा	·
3	क्य द्वारा	रजिष्ट्रीकृत विकय विलेख	<u> </u>
4	दान द्वारा	रजिष्ट्रीकृत दान विलेख	
5	भूमि के विनिमय द्वारा	विनिमय का रजिस्ट्रीकृत विलेख	
6	न्यायालय की डिकी	न्यायालय की डिकी	
	द्वारा		
7	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आदेश	
8	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	निर्मुक्ति / विमुक्ति विलेख	
9	किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उक्त में वर्णित नहीं है)	सुसंगत दस्तावेज	

5. फीस के ब्यौरे

(रूपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

1. मैं / हमपता (पूर्ण पता)पता (पूर्ण पता)
एतद्द्वारा घोषणा करता/करती
हूँ / हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं
सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी समझता
हूँ / समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे
/ हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम निवेदन करता हूँ / करते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी
के अनुसार भू—अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।
दिनांकहस्ताक्षर

आवश्यक संलग्नक:--

स्थान

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण-पूर्व रेखाचित्र (प्री-म्यूटेशन रकेच) की प्रति (जहाँ लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान स्थापित करने के प्रमाण के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

नाम

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
 - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जी.एस. टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किया गया सी.आइ. एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, पंजीयक लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और

प्रति.

- (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस की रसीद की प्रति
- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
 - (2) पहचान के प्रमाण की स्व—सत्यापित प्रति— आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग— दो अभिस्वीकृति

•		•
श्री/श्रीमती/कु		
पुत्र/पुत्री/पति		
पता		
उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत	रिपोर्ट की	एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।
दिनांक:	मुद्रा	
स्थान:		प्राप्तकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
	•	तहसील
,		जिला

प्ररूप-तीन

(नियम-3 देखिए)

अवयस्क भूमिरवामी अथवा अवयस्क पट्टेदार के वयस्क होने की रिपोर्ट

प्रति,
तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील
जिलाम.प्र.
भाग- एक
मैं / हम(नाम)एतद्द्वारा, निम्नलिखित अवयस्क भूमिस्वामी /अवयस्क पट्टेदार द्वारा वयस्क होने की रिपोर्ट कर रहा हूँ / रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण के लिए निवेदन करता हूँ / करते हैं।

1.उन व्यक्तियों का विवरण जो वयस्क हो गये हैं :--

अनु	नाम	पिता / माता /	लिंग	जन्म	मोबाइल	अनुसूचित	पहचान	अभ्युक्ति
कमांक	तथा	पति / संरक्षक		तिथि	फोन	जनजाति/अन्य	दस्तावेज का	
	पता	का नाम		तथा	नुम्बर		विवरण एवं	
·		421 1111		आयु			कमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(e)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.					-			
	-							
			<u></u>					-

2.भूमि का विवरण

पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	ग्राम / नगरीय क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
,			

_			- 4	_
3.	फीस	क	ब्या	₹

(रूपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

1.	मैं / हमपता (पूर्ण पता)पता (पूर्ण पता)
	हूं / हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं
	सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी
	समझता हूँ / समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तृत की गई जानकारी असत्य होने की
	दशा में मेरे / हमारे विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
	* (- 2)

2. मैं / हम निवेदन करता हूँ / करते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भू—अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

देनाक	हस्ताक्षर
स्थान	नाम
	(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक :--

- (1) खसरा की प्रति
- (2) वयस्क होने वाले व्यक्तियों के पते का प्रमाण
- (3) वयस्क होने वाले व्यक्तियों की पहचान का प्रमाण
- (4) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति वयस्क होने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान के प्रमाण के साथ वयस्क होने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) जन्म तिथि का प्रमाण

प्रति,

- (6) फीस की रसीद की प्रति
- टिप्पणी:- (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतिया इस प्ररूप के साथ सलग्न की जाएं।
 - (2) पहचान के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति- आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग—दो अभिस्वीकृति

श्री / श्रीमती / कु	
पुत्र/पुत्री/पति	
'पता	

उपरोक्त भाग-एक में प्रस्तुत रिपोर्ट की एतद्द्वारा अभिरवीकृति दी जाती है।

दिनाकः	मुद्रा	
स्थानः		प्राप्तकर्ना प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
		तहसील
		जिला

प्ररूप-चार

(नियम-3 देखिए)

अधिकार या हित के अर्जन की रिपोर्ट

(प्ररूप-एक, प्ररूप-दो या प्ररूप-तीन में रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों से भिन्न)

प्रति,	
तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार	
तहसील	
जिलाम.प्र.	
भाग एक	
मैं / हम(नाम)एतद्द्वारा, भूमि में निम्नलिखित अधिकारों य हितों के अर्जन की रिपोर्ट कर रहा हूँ / रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (कमांव 20 सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेख में नामांतरण के लिए निवेदन करत हैं / करते हैं।	Б

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण

अनु	नाम	पिता / माता / पति /	लिंग	आयु	मोबाइल	अनुसूचित	पहचान	अभ्युवित
कमाक	तथा	संरक्षक का नाम	}		फोन	जनजाति / अन्य	दस्तावेज	
	पता	}]		नम्बर	}	का विवरण	
							एवं कमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.				-				
2.			· · ·					

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/त्यजन किया गया है:

अन्	नाम	पिता / माता / पति /	लिंग	आयु	मोबाइल	अनुसूचित	पहचान	अभ्युक्ति
क्रमांक	तथा	संरक्षक का नाम	}		फोन	जनजाति / अन्य	दस्तावेज	}
	पता				नम्बर		का	<u> </u>
			}				विवरण] •]
						!	एवं	[
			ļ	i 			क्मांक	<u> </u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.		-						
2.								
	-							
j				L	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	J

3. भूमि तथा अधिकार / हित का विवरण

पटवारी हल्का	ग्राम / नगरीय	सर्वेक्षण संख्यांक /	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/	भूमि का क्षेत्रफल	अर्जित किए गए	अधिकार / हित अर्जित		ार / हित का विवरण
क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	क्षेत्र का नाम	ब्लाक संख्यांक / भूखण्ड संख्यांक	वर्गमीटर में)	जिस पर अधिकार / हित अर्जित किया गया है	अधिकार या हित का प्रकार	करने वाले व्यक्तियों के नाम	हिस्सा	क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4. अधिकार /हित के अर्जन का प्रकार-

अनुकमांक	अधिकार/हित के अर्जन की प्रकृति	सुसंगत दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायें)	कृपया टिक(√) करें, यदि सलंग्न हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

5.	फीस	के	ब्योरे
----	-----	----	--------

(रूपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(5)	(3)
	<u> </u>	
		<u> </u>

घोषणा

1.	मैं / हमपुत्र /पुत्री /पतिपता (पूर्ण पता)
	एतद्द्वारा घोषणा
	करता / करती हूं / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान और
	विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई
	है। मैं / हम यह भी समझता हूँ / समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई
	जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा
	सकेगी।

2. मैं / हम निवेदन करता हूं / करते हैं कि इस रिपोर्ट में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भू—अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

दिनांक	हस्ताक्षर
स्थान	नाम
s.	(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति

आवश्यक संलग्नक:-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण-पूर्व रेखाचित्र (प्री-म्यूटेशन स्केच) की प्रति (जहाँ लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान स्थापित करने के प्रमाण के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
 - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जी.एस. टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किया गया सी.आइ. एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, पंजीयक लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
 - (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस की रसीद की प्रति
- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
 - (2) पहचान के प्रमाण की स्व—सत्यापित प्रति आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग-	द	Ì
अभिस्वी	an a	ति

	अभि	स्याकृति	
प्रति,		,	
श्री/श्रीमती/कु			
पुत्र/पुत्री/पति	· · · ·		
पता			
उपरोक्त भाग-एक में प्रर	् तुत रिपोर्ट की	एतद्द्वारा अभिरवीकृति	दी जाती है।
देनांक	मुद्रा	•	
स्थान		प्राप्तकर्ता प्राधिकारी का	नाम एवं पदनाम
		तहसील	
	÷	जिला	

प्ररूप-पांच

(नियम 3 देखिये)

कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के मामले में नामांतरण तथा खाते के विभाजन के लिए एक साथ कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट एवं आवेदन

प्रति,
तहसीलदार /अतिरिक्तं तहसीलदार /नायब तहसीलदार
तहसील
जिला म.प्र.
भाग—एक
मैं / हम(नाम)एतद्द्वारा, भूमि में भूमिस्वामी अधिकार या हित के
अर्जन की रिपोर्ट कर रहा हूँ / रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20
सन् 1959) की धारा 110 के अधीन भू—अभिलेखों में नामांतरण तथा धारा 178 के अधीन खाते
कें विमाजन का निवेदन करता हूं/करते हैं।

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों का विवरण

अनु	नाम	पिता /	लिंग	आयु	मोबाइल	अनुसूचित	पहचान	अभ्युक्ति
क्रमांक	तथा	माता /			फोन	जनजाति	दस्तावेज का	
1	पता	पति /	-		नम्बर	/ अन्य	विवरण एवं	
		संरक्षक				1	कमांक	-
		का नाम						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				-				
2								
				-				
]	L	l	<u> </u>	1	<u></u>		

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिनके द्वारा अधिकार/हित/दावे का अंतरण/समनुदेशन/त्यजन किया गया है:

								
अनु	नाम तथा	पिता /	लिंग	आयु	मोबाइल	अनुसूचित	पहचान	अभ्युक्ति
क्रमांक	पता	भाता /	•		फोन	जनजाति /	दस्तावेज	
		पति /			नम्बर	अन्य	का	
		संरक्षक का	!				विवरण	
	<u> </u>	नाम					. एवं	- -
	[क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

3(क). भूमि का विवरण विद्यमान भू-अभिलेख अनुसार

पटवारी	ग्राम/	खाता	भूमिरवामी/	खाते में	सर्वेक्षण	क्षेत्रफल	भू-राजस्व
हल्का	नगरीय	कमांक	भूमिखामियों	हिरसा	संख्यांक	(हेक्टेयर	(रूपयों में)
क्रमांक /	क्षेत्र का		के नाम			में)	•
सेक्टर	नाम	İ					
क्रमांक				1			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6).	(7)	(8)
					,		

*3(ख). नामांतरण उपरांत विभाजन के लिये प्रस्ताव

पटवारी	ग्राम/	विभाजन उपरांत	खाते में	सर्वेक्षण	क्षेत्रफल	प्रभाजित
हल्का	नगरीय क्षेत्र	प्ररतावित खातों के	हिस्सा	संख्यांक	(हेवटेयर	भू-राजस्व
क्रमांक /	का नाम	लिये भूमिस्वामी /			में)	(रूपयों में)
सेक्टर		भूमिरवामियों के नाम				
क्रमांक]				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*टीप:— इस पद के अंतर्गत विभाजन का प्रस्ताव देना आवेदक के लिये अनिवार्य नहीं है। आवेदक चाहे तो उपरोक्त सारणी में खाते में अपना हिस्सा और सर्वेक्षण संख्यांक एवं उनके क्षेत्रफल तथा प्रभाजित भू—राजस्व का उल्लेख करते हुये शेष खाते को शामिल खाते के रूप में दर्शा सकता है।

4. भूमिस्वामी अधिकार / हित के अर्जन का प्रकार-

अनु कमांक	प्रकार	अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायें)	कृपया टिक(√) करें, यदि सलंग्न
कमाक		सलाम का आवर्	कर, याद सलग्न हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विरासत द्वारा	 मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित प्रमाण पारिवारिक वंशावली/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से 	
2	वसीयत द्वारा	वसीयतनामा	
3	क्य द्वारा	रजिष्ट्रीकृत विकय विलेख	
4	दान द्वारा	रजिष्ट्रीकृत दान विलेख	
5	न्यायालय की डिकी द्वारा	न्यायालय की डिकी	
6	भूमि अर्जन द्वारा	पारित किया गया अवॉर्ड	
7	भूमि आवंटन द्वारा	भूमि आवंटन का आदेश	
8	भूमि में दावों के त्यजन द्वारा	निर्मुक्ति / विमुक्ति विलेख	
9	किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उक्त में वर्णित नहीं है)	सुसंगत दस्तावेज	

5. फीस के ब्यौरे

(रूपयों में)

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

_			
घा	ч	ण	Ţ

1.	मैं / हमपुत्र /पुत्री /पति	(पूर्ण पता)
	मोबाइल	नम्बरएतद्द्वारा घोषणा
	करता / करती हूँ / हैं कि मेरे / हमारे द्वारा	दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास
	से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा	कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं /
*	हम यह भी समझता हूँ / समझते हैं कि मेरे	/ हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी
	असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध	विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2.	मैं / हम निवेदन करता हूँ /करते हैं कि	भू-अभिलेखों में नामांतरण तथा कृषि के
	प्रयोजन के लिए खाते का विभाजन इस रिप	ोर्ट/आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा दी गई
	जानकारी के अनुसार किया जाए।	
	दिनांक	हरताक्षर
	स्थान	नाम
		(आवेदक / रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक:-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामातरण-पूर्व रेखाचित्र (प्री-म्यूटेशन स्केच) की प्रति (जहाँ लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते के प्रमाण की प्रति

- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रमाण की प्रति
- (5) यदि आवेदक / रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो आवेदक / रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का प्रमाण तथा उसकी पहचान स्थापित करने के प्रमाण के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
 - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, जी.एस. टी. रिजरट्रेशन नम्बर, रिजस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी किया गया सी.आइ. एन. नम्बर, रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रिजस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, पंजीयक लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि, और
 - (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस की रसीद की प्रति
- (9) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 3(ख) में दिये गये विवरण तथा सह—खातेदारों की हस्ताक्षरित सहमति।
- टिप्पणी :-- (1) दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
 - (2) पहचान के प्रमाण की स्व—सत्यापित प्रति— आधार कार्ड या समकक्ष, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी बैंक की पासबुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई फोटो पहचान पत्र।

भाग- दं	Ì
अभिस्वीकृ	ति

		अभिस्वीकृति
प्रति,		
श्री /श्रीमती / कु	,	
पुत्र/पुत्री/पति		
पता		
उपरोक्त भाग–एक है।	में प्रस्तुत रिपोर्ट	और आवेदन की एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती
दिनांक	मुद्रा	
स्थान		प्राप्तकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
		तहसील
		जिला

·	प्ररूप-छः
	(नियम 4 देखिये)

5 88

र	रेतक	की	अवधि	में	तहसील		जिला	***************	में	भूमि	से	संबंधित	संव्यवहार	ों की
					रजिस्	ट्रीकरण अधिक	ारी द्वारा प्रज्ञापन	ना						

	,	, <u></u>	·					•		
पंजीयन	पटवारी	ग्राम /	संव्यवहारों	संव्यवहारों	दस्तावेज के	उस व्यक्ति का	दस्तावेज	दस्तावेज	भू-अभिलेख	अभ्युक्ति
का	हल्का	नगरीय	से संबंधित	से संबंधित	निष्पादक का	नाम, पता तथा	के	का प्रकार	में नामांतरण	٦
क्रमांक	क्रमांक /	क्षेत्र का	सर्वेक्षण	क्षेत्रफल	नाम, पता तथा	मोबाइल फोन	निष्पादन	•	के लिए	
ļ	सेक्टर	नाम जिसमें	संख्यांक/	(हेक्टेयर/	मोबाइल फोन	नम्बर जिसके पक्ष	का दिनांक		भुगतान की	
	कमांक	भूमि	ब्लाक	वर्गमीटर में)	नम्बर	में दस्तावेज		[गई फीस के	
	}	अवरिथत	संख्यांक /			निष्यदित किया	-		ब्यौरे	ļ
		ह	भूखण्ड			गया है		·		
]		संख्यांक			·	}			j
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<u> </u>					(0)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)
								<u> </u>		
	i		<u> </u>							l

स्थान	मुद्रा	हस्ताक्षर
दिनांक		रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
•		तहसील
	•	जिला

प्रक्तप-सात (नियम 5 देखिये)

अधिकार या हित अर्जन की रिपोर्टों की पंजी

ग्राम / नगरीय क्षेत्रपर	टवारी हल्का	कमांक / र	सेक्टर कम	कक	तहसील	जिला	,

अनु क्रमांक	धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति का दिनांक	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता / माता / पति का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर	अधिकार / हित अर्जन करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता / माता / पति / संरक्षक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर	भूमि का विवर अधिकार / हि त्यजित कि सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भूखण्ड संख्यांक	हेत अर्जित /	भूमि में अधिकार / हित के अर्जन का प्रकार	प्ररूप-ए, दो, तीन, चार या पांच (जैसा मामला हो)	दिनांक जिस पर तहसीलदार को रिपोर्ट भेजी है	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रस	q -	-आठ
(नियम	6	देखिये)

संहिता	की	धारा	110	की	उपधारा	(2)	के	अधीन	तहसीलदार	को	पटवारी /	/नगर	सर्वेक्षक	की	प्रज्ञाप	ना
															_	

प्रति,	साहता का बारा 110 का उपवारा (2) के अवान तहसालदार का पटपारा नगर संपद्मक का प्रशासना दिनांक											
	·	पर तहसीलदार/ना जिला		······································								
. विषय:		ह्य संहिता, 1959 (क त के अर्जन की प्रज्ञ		की धारा 110	की उपधारा	(2) के अधीन	भू-अभिलेखों मं	भैं नामांतरण व	हे लिए भूमि			
से		जाता है कि संहिता ाधि के दौरान निम्ना			अधीन भूमि	में अधिकारों / f	·	से संबंधित				
अनु क्रमांक	धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति का दिनांक	रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता / माता / पित का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर	अधिकार / हित अर्जन करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता / माता / पति / संरक्षक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर		ण जिस पर अ त्यजित किया सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भूखण्ड संख्यांक		भूमि में अधिकार / हित के अर्जन का प्रकार	प्ररूप— एक, दो, तीन, चार या पांच (जैसा मामला हो)	दिनांक जिस पर तहसीलदार को प्रजापना भेजी है	अभ्युचित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
दिनांक स्थान	*************	क्ति द्वारा प्रस्तुत किए ग	ये प्ररूप तथा संलग्नक	इसके साथ आव	रयक कार्रवाई	नाम तथा । प्दनाम	हस्ताक्षर का कमांक तथा		नांक			

संलग्नकों की सूची

1. 2.

0 ft 12

प्ररूप-नौ (नियम 7 देखिये)

राजस्व मामलों में नोटिस

न्यायालय		तहसील	जिला
		प्रकर	ण कमांक
			आवेदक
		विरूद्ध	
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अनावेदक
प्रेषिति—			
श्री / श्रीमती / कु			
स्थान	तहसी	ল f	जेला
आपको एतद्द्वारा सूचित किर			
को (समय)बजे			
आप न्यायालय में स्वयं या वै			
हों, के द्वारा उपस्थित होकर			
दिनांक को इस न्यायालय	में उपसंजात नहीं	होंगे तो मामले की	सुनवाई और उसका
निपटारा आपकी अनुपस्थिति	में किया जाएगा।		
संलग्नकः रिपोर्ट/आवेदन की	प्रति।		
दिनाक	मुद्रा	राजस्व अधि	कारी
स्थान		पदनाम	

पृष्डाकन कमांक–1						
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर						
				नाम		
				मोबाइल फोन नम्बर	F	
· ·				(यदि प्रेषिती से वि	भेन्न है तो संबंध)	
		· tr	छांकन कमांक−2	•	•	
		-	करने संबंधी पृष्ठ	ias a		
		(IIII)	4/(1 (144) 240			
दिनांक	माहवर्ष	को	र्बज मेरे हा	रा तामील किया गर	या ।	
			तामील करने	वाले अधिकारी का	नाम एवं हरताक्षर	
			प्ररूप—दस	•		
		(f	नेयम ७ देखिये)			
यायालय		-		गिठासीन अधिकारी	के नाम सहित)	
तहसील	जिला		•		•	
•	•	•				
		सार	र्वजनिक नोटिस			
· .				मामला	कमांक	
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू—अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति (दिनांक)						
7			अनुसूची			
				-	च्चा समि≡ /	
पटवारी हल्का	ग्राम / नगरीय	सर्वेक्षण संख्यांकः/	क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्ग	विद्यमान भू–अभिलेख में	उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम,	
कमांक /	क्षेत्र का	संख्याक/ ब्लॉ क	मीटर में)	अंकित धारक/	पिता / माता /	
सेक्टर	नाम	संख्यांक /	,	धारकों का नाम,	पति का नाम	
कमांक	•••	भूखण्ड		पिता / माता /	तथा पूर्ण पता	
		संख्यांक		पति का नाम	जिनके पक्ष में	
				तथा पूर्ण पता	नामांतरण	
					विचाराधीन है	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
17.7						
आज दिनांक		को मेरे हस्त	गक्षर एवं न्यायाल	ाय की मुद्रा के 3	ाधीन जारी किया	
गया।						
दिनांक		मुद्रा	पीटाः	तीन अधिकारी का	नाम एवं हस्ताक्षर	
स्थान						

प्ररूप-ग्यारह (नियम ९ देखिये)

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 110 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट नामांतरण के मामलों की तिमाही रिपोर्ट

विनिद्धिः नामातर्थं के नामला की तिमान रिपाट
(दिनांक) की स्थिति
न्यायालय का नाम तहसील
माग- एक :- दो माह से अधिक लम्बित अविवादित नामांतरण के मामलों की सूची

अनु क्रमांक	मामला क्रमांक	मामला संस्थित होने की दिनांक	पक्षकारों के नाम	मामले की वर्तमान स्थिति	मामले के लम्बित रहने की अवधि (वर्ष तथा माह में)	लम्बित रहने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.						

भाग- दो :- छह माह से अधिक लिम्बत विवादित नामांतरण के मामलों की सूची

अनु क्रमांक	मामला क्रमांक	मामला संस्थित होने की दिनांक	पक्षकारों के नाम	मामले की वर्तमान रिथति	मामले के लम्बित रहने की अवधि (वर्ष तथा माह में)	लम्बित रहने के कारण
(1)_	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

दिनांक	मुदा	पीठासीन अधिकारी का नाम
स्थान		हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-2-14-2018-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-14-2018-सात-6, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 31st December 2018

No. F 2-14/2018/VII/Se.6 - In exercise of the powers conferred by clause (xxiii) of sub-section (2) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) read with Section 109 and Section 110 of the said Code and in supersession of this Department's Notification no. 2498-VII-N-1 dated 10th June, 1965, published in the Madhya Pradesh Rajpatra, dated 2nd July, 1965, the State Government, hereby, makes the Madhya Pradesh Bhu-Rajasv Sanhita (Bhu-Abhilekhon Mein Namantaran) Niyam, 2018, the same having been previously published, as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code:-

RULES

1. Short title and commencement-

- (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Bhu-Rajasv Sanhita (Bhu-Abhilekhon Mein Namantaran) Niyam, 2018.
- (2) They shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions -

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-
 - (a) 'Code means Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
 - (b) 'Form' means Forms appended to these rules;
 - (c) 'Section' means a section of the code.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Code, shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Code.

Part- A

Report of acquisition of rights and payment of fee

- 3. (1) Report of a right or interest acquired in land by a person under subsection (1) of Section 109 shall be made in -
 - (a) Form I, in case of acquisition of Bhumiswami right or interest;
 - (b) Form II, in case of acquisition of leasehold right or interest;

- (c) Form III, in case of a minor Bhumiswami or minor lessee attaining majority;
- (d) Form IV, in case of acquisition of any right or interest other than (a) to (c); and
- (e) Form V, in case of application for common proceeding for mutation and partition of holding in case of land assessed for the purpose of agriculture.
- (2) The report under sub-rule (1) may be made by any one of the means specified in the Explanation III under sub-section (1) of section 109 or by an electronic system whenever such system is introduced.
- (3) Where such right or interest in land is acquired on a part of a survey number or block number or plot number, a pre-mutation sketch shall be prepared in accordance with the directions issued by the state Government from time to time and attached with the report in subrule (1).
- (4) The party acquiring a right or an interest shall pay fees for the mutation in land records as may be notified by the State Government:

Provided that no fee shall be payable till such notification is issued:

Provided further that any fee or penalty required to be paid under Section 109 or 110 or these rules, if not paid shall be recoverable as an arrear of land revenue.

(5) A written acknowledgement of the report made in sub-rule (1) shall be given.

- 4. The intimation under sub-section (2) of section 109 shall be sent by the Registering Officer to the Tahsildar in Form VI along with a pre-mutation sketch prepared in accordance with the directions issued by the State Government from time to time within a period of ten days of registration of a document. The Registering Officer shall cause the fee payable under subrule (4) of rule 3 deposited from the person acquiring a title or interest in land for mutation in land records and give the details thereof in Form VI. Copy of the intimation made in Form VI shall also be given to the parties to the deed.
- 5. The register to be maintained under sub-section (1) of Section 110 for reporting acquisition of rights or interests shall be in **Form VII.**
- 6. The intimation regarding acquisition of right shall be submitted to the Tahsildar under sub-section (2) of section 110 in Form VIII.

Part – B

Proceedings in cases for mutation in land records

- 7. (1) The Tahsildar shall issue notice under clause (b) of sub-section (3) of Section 110 in Form IX to all persons interested including the following persons and authorities-
 - (a) in case the land has been given on lease or on licence by the Government- to the district head of the concerned department or where there is no such district head to the Secretary of the Department;

- (b) in case the land has been given on lease or on licence by any Local Body- to the chief executive officer of the concerned Local Body;
- (c) in case the land has been given on lease or on licence by an authority established or controlled by the State Governmentto the District Head of such authority or where there is no such district head - to the chief executive officer of such authority.
- (2) The Tahsildar shall display a public notice relating to the proposed mutation in Form X on the notice board of his office and of the concerned Gram Panchayat or urban local body, as the case may be, and publish it in the concerned village or sector.
- (3) During the enquiry if existence of any interested person other than those to whom notices have been issued under aforesaid sub-rule (1) comes to the knowledge of the Tahsildar, he shall issue notice to such interested person also.
- 8. (1) After the date of passing order under sub-section (4) of section 110, the Tahsildar shall fix a date not later than thirty days for the delivery of certified copies of the order and updated land records free of cost as provided under sub-section (5) of section 110.
 - (2) On the date so fixed certified copies of the order and updated Khasra and maps shall be delivered to the parties. The Tahsildar shall make necessary entries in the Bhu-Adhikar Pustika or, if required, issue new Bhu-Adhikar Pustika to the parties.

- (3) If any party so desires or if any party does not appear on the date fixed under sub-rule (1) the certified copies of the order and updated Khasra and map shall be sent to the party by registered post or by such other means as may be directed by the State Government.
- Quarterly report of pending cases under sub-section (7) of section 110 shall be sent to the Collector in Form XI by the tenth day of the next quarter. The State Government may set up an electronic system for monitoring to generate such reports automatically.

Part- C

Common proceedings for mutation and partition of holding in case of land assessed for the purpose of agriculture

- 10. A party acquiring a right or interest in land assessed for the purpose of agriculture under section 59 may apply for effecting the mutation of a right or interest in land records under section 110 and partition of holding under section 178 in a common proceedings.
- 11. (1) If an application is made under rule 10, the Tahsildar shall register a case for mutation of rights in land records under section 110 and partition of holding under section 178 and proceed to hear and pass a common order.
 - (2) The provisions of these rules and of section 178 and rules made thereunder shall be followed in the proceedings under sub-rule (1).
 - (3) Where any objection relating to partition is raised, the Tahsildar shall pass an order for mutation in land records and direct the parties, who wish to partition the holding, to apply under section 178 separately.

FORM-I (See Rule 3)

REPORT OF ACQUISITION OF BHUMISWAMI RIGHT OR INTEREST

To,	Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar Tahsil
	PART-I
repo muta Cod	c, (Name), hereby, ort acquisition of Bhumiswami right or interest in land and request for ation in land records under Section 110 of the Madhya Pradesh Land Revenue e, (No 20 of 1959). ticulars of persons acquiring right or interest:-

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother / Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1						<u></u>		
2	, ,							
-	 		 					

2. Particulars of persons by whom right/interest/claim is transferred/assigned/renounced:-

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother/ Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
l								
2				·				
3					<u> </u>	<u> </u>		

3. Particulars of land and right/interest-

Patwari	Name of	Survey	Area	Area of land	Names of	Particulars of	f right/interest
Halka No/ Sector No.	Village/ Urban area	No./ Block No./ Plot No.	(in hectare /sq.mtr.)	over which Bhumiswami right/interest has been acquired	persons acquiring right/ interest	Share	Area (in hectare /sq.mtr.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

4. Mode of acquisition of Bhumiswami right/interest:-

S.No	Mode	Required Document (Self attested copies to be attached)	Please tick (√) if attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1	By inheritance	Death Certificate or suitable proof of death of the deceased	
		Bhumiswami	
		2. Family tree/List of heirs and	
		their shares	
2	By will	Will .	
3	By purchase	Registered sale deed	
4	By gift	Registered Gift deed	
5	By exchange of land	Registered deed of exchange	
6	By decree of Court	Decree of the Court	
7	By land acquisition	Award passed	
8	By land allotment	Order of the land allotment	
9	By renouncing claims in land	Release deed	
10	By any other mode (not mentioned above)	Relevant document	

5. Details of fee deposited-

Amount in figures
Amount in words

(in Rupees)

Details of the receipt of the fee deposited

(1)

(2)

(3)

DECLARATION

1. I/weson/daugl	hter/wife of address
(full	mailing
address)	, mobile
Nohereby, declare (s) that	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
and correct to the best of my/our know concealed by me/us. I/we also understar submitted by me/us, legal action may be t 2. I/we request that mutation in land reprovided by me/us in this report. Date	nd that in case of incorrect information taken against me/us.
Place	
	Signature
	Name
	(Person making report)

Essential Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre-mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring right or interest
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring right or interest
- (5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.
- (6) In case of juristic person-
 - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration certificate issued by the registering authority such as Registrar of Firms and Societies, Registrar Public Trusts etc. or Bank Account passbook etc.; and
 - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above
- (8) Copy of receipt of fee
- Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART-II ACKNOWLEDGMENT

To,		•
Shri/Smt./k		***************************************
Son/Daugh	ter/Wife of	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
~	••••••	
The report	submitted in Par	t-I above is hereby acknowledged.
Date	Seal	
Place Authority	•	Name and designation of Receiving
•		Tahsil District

FORM-II (See Rule 3)

'REPORT OF ACQUISITION OF LEASEHOLD RIGHT OR INTEREST

To,		·
	Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib	Tahsildar
	Tahsil	
	DistrictM.P	
	P	ART-I
report in land	acquisition of leasehold rights or in	terests in land and request for mutation Madhya Pradesh Land Revenue Code,
		•

1. Particulars of persons acquiring right or interest:-

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother / Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ī				l				
2								

2. Particulars of persons by whom right/interest/claim is transferred/assigned/renounced: -

S. No	Name & Address	Name of Father/Mother Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

3. Particulars of land and right/interest:-

Patwari halka	Name of Village/		Arca (is bectare	Area of land over which	Names of persons acquiring rights/ interests	Particulars of right/interest		
No/sector No.	Urban area	Plot No.	/sq.mtr.)	leasehold rights/ interests has been acquired		Share	Area (in hectare /sq.mtr.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

4. Mode of acquisition of leasehold right/interest-

S.No	Mode	Required Document (self attested copies to be attached)	Please tick (√) if attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1	By inheritance	1. Death Certificate or suitable proof of	
	·	death of the deceased lessee	}
	•	2. Family tree/List of heirs and their share	
2	By will	Will	
3	By purchase	Registered sale deed	
4	By gift	Registered Gift deed	
5	By exchange of land	Registered deed of exchange	
6	By decree of Court	Decree of the Court	
7	By land allotment	Order of the land allotment	
8	By renouncing claims in land	Release deed	
9	By any other mode (not mentioned above)	Relevant document	

5. Details of fee deposited-

Amount in figures
Amount in words
Details of receipt of the fee deposited
(1)
(2)
(3)

DECLARATION

1. I/weson/daught	er/wife of address
address)	*1*
mobile No	s) that the information given by me/us knowledge and belief and nothing has nderstand that in case of incorrect on may be taken assistant.
	Signature
	Name
	(Person making report)

Essential Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring right or interest
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring right or interest
- (5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.
- (6) In case of juristic person-
 - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration certificate issued by the registering authority such as Registrar of Firms and Societies, Registrar Public Trusts etc. or Bank Account passbook etc.; and
 - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above
- (8) Copy of receipt of fee

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART-II ACKNOWLEDGMENT

To,		
Shri/S	mt./Ku	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Son/D	aughter/Wife o	f
	•	***************************************
The re	port submitted	in Part-I above is hereby acknowledged.
Date	Seal	
Place,		Name and designation of Receiving Authority
		Tahsil
		District

FORM-III (See Rule 3)

REPORT OF A MINOR BHUMISWAMI OR MINOR LESSEE ATTAINING MAJORITY

To,	Tabailda	~/ A AA;	tiona	ıl Tahsildar	«∕Nia∷h Ƴ	مامدا المامي		•	
	Tahsil					ansilgar.	***********		
	District	•••••	•••••	1	M.P				
	•				PAR	T-I			•
attain reque Land	st for mu Revenue	majorit tation Code,	y by in la 1959	the follo nd records (No 20 of	under (1959).	inor Bhi Section	110 of the	/minor les	
1. Pai	rticulars (of pers		who have	attained Date of	major	Scheduled	Description	Remarks
No	Address	Fathe Moth Husba Guard	r/ er/ nd/	Otali	birth and age	phone mumber	Tribe/ Other	and No. of identity document	NCIHAI KS
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 2					-				
					<u> </u>	<u> </u>			
	erticulars ari halks No/sect (1)		d:-	Name of Villag Urban area (2)	c/	Block N	ey No./ n./Plot No. 3)	(in h /sq.	rca cctare mtr.) 4)
									. .
3. De	tails of fe	e dep o	sited	l:-				(in rupe	es)
<u> </u>	Amount in f	gares		· Ar	nount in word)s	Details of	receipt of the fee	
	(1)		- -	 	(2)		 	(3)	

DECLARATION

1. I/weson/daughte	er/wife of address (full
	Sir wife of the
mailing address)	***************************************
by me/us is true and correct to the best nothing has been concealed by me/us. incorrect information submitted by me/us.	of my/our knowledge and belief and I/we also understand that in case of us, legal action may be taken against
me/us. 2. I/we request that mutation in land reprovided by me/us in this report.	cords be made as per the information
Date	
Place	
	Signature Name (Persons making report)
Essential Enclosures:-	
and proof of identity of the person ina (5) Proof of date of birth (6) Copy of receipt of fee Notes: (1) Self -attested copies of the	the person attaining majority a letter of ing majority along with proof of address aking report shall be furnished documents shall be attached with this
	ed copy of Aadhar Card or its equivalent, iving License, Passbook of any Bank, or by any Gazetted Officer of the State ment.
	RT-II
	VLEDGMENT
To, Shri/Smt./KuSon/daughter/husband ofAddress	••••••
The report submitted in Part-I a	bove is hereby acknowledged.
Tahsi	and designation of Receiving Authority

FORM-IV (See Rule 3)

REPORT OF ACQUISITION OF RIGHT OR INTEREST (OTHER THAN THOSE CASES REQUIRED TO BE REPORTED IN FORM-I, FORM-II OR FORM-III)

	Tahsild	lar/Additiona	l Tahsilo	lar/Naib	Tahsildar	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Tahsil							
	District			M.P				-
				_				
				<u>P.</u>	ART-I			
I/We	aa	*****	(name)					herahy
								="
		tion of follow						
land	records u	inder Section	110 of t	he Mad	hya Prades	sh Land Re	evenue Co	de, 1959
(No 2	20 of 195	9).						
17 0. 4		œ.						
. Part	iculars of	f persons acc	quiring	right or	' interest:-	•		
S. No	Name and Address	Name of Enther/Mother/	Ссявет	Agr	Mobile phone	Scheduled Tribe/	Description	Remarks
1.0	Austra	Husband		. [number	Other	and No. of identity	
(1)	(2)	/Guardian (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	document (8)	(9)
1								
2			<u>.</u>					
			<u> </u>					
Par	rticulare	of persons	hv u	hom .	riaht/intor	oet/oloim	is twoma	formed/
	ed/renour		. Dy w	· HOM I	ignumer	CSI/CIAIIII	is trans	ierreu/
s.	Name &	Name of	Gender	Age	Mobile	Scheduled	Description	Remarks
No	Address	Father/Muther Husband /Guardian			phone	Tribe/ Other	and No. of identity	•
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2								
		 		<u> </u>				-

3. Particulars of land and right/interest:-

Patwari hetka	Name of Village/	Survey No./ Block No./	Area (in bectare	Area of land over which	Nature of right or	Names of persons	Particulars of right/interest	
No/sector No.	Urban area	Plat No.	/sq.mtr.j	right/interest has been acquired	interest acquired	acquiring rights/interests	Share	Arex (in bectare /sq.moc.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<u></u>					{

4. Mode of acquisition of right/interest:-

S. No.	Nature of right/interest	Relevant Documents (self attested copies to be attached)	Please tick (√) If attached
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			

5. Details of fee deposited:-

	·	(in rupees)
Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee
-		deposited
(1)	(2)	(3)
,		

<u>DECLARATION</u>

1. I/weson/d	aughter/wife of
	address (full mailing
address)	,mo
bile nohereby, declare that the and correct to the best of my/our knowledg concealed by me/us. I/we also understand the submitted by me/us, legal action may be taken at 2. I/we request that mutation in land recorprovided by me/us in this report.	e and belief and nothing has been not in case of incorrect information against me/us.
Date	
Place	
	Signature Name (Persons making report)

Essential Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre-mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring right or interest
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring right or interest
- (5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.

(6) In case of juristic person-

- (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration certificate issued by the registering authority such as Registrar of Firms and Societies, Registrar Public Trusts etc. or Bank Account passbook etc.; and
- (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above
- (8) Copy of receipt of fee
- Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.
 - (2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART-II ACKNOWLEDGMENT

10,		
Shri/Sm	t./Ku	*************************
Son/Dau	ighter/Wife o	of
Address	****************	
The repo	ort submitted	in Part-I above is hereby acknowledged.
Date	Seal	
Place	•	Name and designation of Receiving Authority
		Tahsil
		District

FORM-V (See Rule 3)

REPORT FOR MUTATION AND APPLICATION FOR PARTITION OF HOLDING FOR COMMON PROCEEDING IN CASE OF LAND ASSESSED FOR THE PURPOSE OF AGRICULTURE

То	Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar Tahsil DistrictM.P
	PART-J
	I/We (name), hereby, report acquisition of Bhumiswami right or interest in land and request for mutation in land records under Section 110 and partition of holding under section 178 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959).

1. Particulars of persons acquiring right or interest:-

S. No	Name and Address	Name of Father/Mother/ Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)_	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<u> </u>		<u> </u>			<u></u>	<u> </u>	<u></u>
2]					<u> </u>	<u></u>]
			Ţ — _]		

2. Particulars of persons by whom right/interest/claim is transferred/assigned/renounced:-

S. No	Name & Address	Name of Father/Mother Husband /Guardian	Gender	Age	Mobile phone number	Scheduled Tribe/ Other	Description and No. of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
]]				
2				1				
								•

3(A). Particulars of land according to existing land records:-

Patwari halka No/sector No.	Name of Village/ Urban area	Holding no.	Name of Bhumiswami/ Bhumiswamies	Share in holding	Survey no.	Area (in hectare)	Land revenue (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u> </u>			 			

*3(B). Proposal for partition after mutation:-

Patwari hulka No/Sector No.	Name of Village/ Urban area	Name of Bhumiswami/ Bhumiswamis for proposed holdings after partition	Share in holding	Survey no.	Area (in hectare)	Apportioned land revenue (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

^{*}Note- It is not mandatory to give proposal for partition in this para. The applicant, if he so desires, may mention in the aforesaid Table his share in the holding, and survey numbers and their areas and apportioned land revenue and show the rest of the holding as a joint holding.

4. Mode of acquisition of Bhumiswami right/interest:-

S.No	Mode	Required Document (Self attested copies to be attached)	Please tick (v) if
(1)	(2)	(3)	(4)
1	By inheritance	Death Certificate or suitable proof of death of the deceased Bhumiswami Family tree/List of heirs and their shares	
2	By will	Will	
3	By purchase	Registered sale deed	
4	By gift	Registered Gift deed	
5	By decree of Court	Decree of the Court	
6	By land acquisition	Award passed	
7	By land allotment	Order of the land allotment	
8	By renouncing claims in land	Release deed	
9	By any other mode (not mentioned above)	Relevant document	

5. Details of fee deposited-

		(in Rupees)
Amount in figures	Amount in words	Details of the receipt of the fee
	·	deposited
(1)	(2)	(3)

DECLARATION

I. I/weson/daugh	ter/wife of address
full	mailing
address)	
nobile Nohereby, declare	
s true and correct to the best of my/our	
been concealed by me/us. I/we also u	
nformation submitted by me/us, legal acti-	
2. I/we request that mutation in land re	
ourpose of agriculture be made as per the	information provided by me/us in this
report and application.	
Date	•
Place	
	Signature
	Name
	(Applicant/Person making report)

Essential Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre-mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring right or interest
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring right or interest
- (5) If applicant/person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the applicant/person making report shall be furnished.
- (6) In case of juristic person-
 - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration certificate issued by the registering authority such as Registrar of Firms and Societies, Registrar Public Trusts etc. or Bank Account passbook etc.; and

- (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above
- (8) Copy of receipt of fee
- (9) Particulars given in para 3(B) of the report above and consent signed by co-sharers.
- Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.
 - (2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Card or its equivalent, PAN Card, Voter ID, Passport, Driving License, Passbook of any Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART-II ACKNOWLEDGMENT

To,									
	Shri/Smt./K	u	**********		-				
	Son/Daught	er/Wif	e of						
٠	Address								
	The report wledged.	and	application	submitted	in	Part-I	above	is	hereby
Date		Seal		•					
Place.	*******		Name	and designa	ition	of Rece	eiving A	utho	ority
			Tahsil	*******		******			
			Distric	¹ †					

FORM VI (See rule 4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)	S. No. in registration	Patwari halka No./ Sector No.	Name of village/ urban area in which the land is situate	Survey No./ block No./ plot No. affected by the transaction	Area affected by transaction (in hectare/ sq.mtr.)	Name, address and mobile phone number of the executor of the document	Name, address and mobile phone number of the person in whose favour the document is executed	Date of execution of the document	Nature of the document	Details of fee paid for mutation in land records	Remarks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

lace	Seal	Signature
)ate		Registering Officer,
		Tahsil
		District

FORM VII (See Rule 5)

Village/Urban area.......Patwari halka No/Sector No........Tahsil.......District......

Register of reports of acquisition of rights or interests

S.No	Date of receipt of report under sub- section (1) of Section 109	Name and Father's/Mother's/ Husband's name, address and mobile	Name and Father's/ Mother's/Husband's/ Guardian's name, address and mobile	Particulars of laz right/interest acquired/re	has been	Nature of acquisition of right/interest in	Form I, II, III, IV or V (as the	Date on which intimation sent to	Remarks
		phone number of the person reporting	phone number of the person acquiring right/interest	Survey No. / Block No./ Plot No.	Area (in hectare/ sq.mt.	land	case may be)	Tahsildar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORM VIII (See Rule 6)

Intimation by Patwari / Nagar Sarvekshak to Tahsildar under sub-section (2) of section 110 of the Code

·		Date
Fahsildar/Naib Tahsildar	444	
•		
M.P		
		cords under Sub-Section (2) of
and information that during the peri-	od fromtototo	following reports have been
		Tahsildar/Naib Tahsildar M.P f Acquisition of right / interest in land for mutation in land recading Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959). kind information that during the period from

S.No	Date of receipt of report under sub-	Name and Father's/Mother's/ Husband's name,	Name and Father's/ Mother's/Husband's/ Guardian's name,	right	rs of land ove /interest has b uired/renounc	een	Nature of acquisition of right/	Form I, II, III, IV or V	Date on which intimation	Remarks
	section (1) of Section 109	address and mobile phone number of the person reporting	address and mobile phone number of the person acquiring right/interest	Name of village/ urban area	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area (in hectare/ sq.mt.	Interest in land	(as the case may be)	sent to Tahsildar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

The forms and enclosure	es submitted by the person reporting are forwarded herewith for	necessary action.
Date		Name & Signature
Place		Designation
List of enclosures		

FORM IX (See Rule 7)

Notice in Revenue Cases

In the Court of		
*******************	Tahsil	District
		Case no
		Applicant
		Versus
_		Non applicant
To Shari/Shart /V.	oon (day	ighter /husband of
		TahsilDistrict
at(time)a.m./p.m, at() legal representative or by an	olace) advocate duly instr	oresaid case shall be heard on (date)
Enclosures:- Copy of report/a	application.	
Date	Seal	Revenue
Officer	·	
Place		
Designation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Endorsen	nent no. 1
•		Signature of Receiver
		Name
		Mobile Phone Number
		(Relation if other than the addressee)
	Endorsen	nent no. 2
•		garding service
Notice is served on the		
Notice is served on the	day 01	Lycalby IIIc.
	•	·
	· · ·	Name and signature of process server

FO	RM	X
(See	Rul	e 7)

			(See Rule	7)	
In the Co	ourt of				
*************		Tahsil.	D	istrict	0 f a 4 + 0 g g
	·	. Р	ublic Noti	ice	
records as Court. Ar (place) instructed	s mentione ny person be or through ion under c	d in the Sche interested may fore this Cour h a legal repre	dule below appear on t either pers sentative ar	Case no. proceedings for mu is under consideration (date)at (titles the constant of the	on before this ime)at advocate duly in respect of
			Schedule	•	
Patwari halka no./sector no	Name of Village/ urban area	Survey No./Block No./Plot No.	Area (in hectare /sq.mtr.)	Name and Father's/Mother's /Husband's name and full address of holder(s) as recorded in existing land records	Name and Father's/Mother's /Husband's name and full address of person(s), in whose favour the mutation is under consideration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Given und	ler my hand	d and the seal o	of the Court	, thisday	of
Date Place		Seal		ame of presiding offic	

Date.....

Place....

Seal

FORM XI (See Rule 9)

Quarterly report of the mutation cases specified in sub-section (7) of Section 110 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959)

Position as on(date)

S.No	Case number	Date of registration of the case	Names of the parties	Current status of the case	Period of pendency of case (in years & months)	Reasons fo pendency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	1 3				\ 	
art -ll:	List of disput	ed mutation	cases pending	beyond six n	nonths	
Part -11:	List of disput	Date of	Names of the	Current	Period of	Reasons for pendency
					Period of pendency of case (in years &	Reasons for pendency
		Date of registration	Names of the	Current status of the	Period of pendency of case	
S.No	Case number	Date of registration of the case	Names of the parties	Current status of the case	Period of pendency of case (in years & months)	pendency

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

Name of presiding officer.....

Signature.....